

Form No. III

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

लोणी केंवर

बनाम श्रीमती पाकुदेवी वाण

किस्म मुकदमा

राजस्व वाद

नं. 116 सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिंसिल्ट जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए
15/12/14	<p>वकील वादी उपस्थिति ।</p> <p>वकील वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा188..... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जो दर्ज रजिस्ट्रर हो । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 7/1/15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p>	<p>grr</p>
18/2/15	<p>पत्रावली पेश हुई आज पीठमैज अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से खाना है/अन्य पर है/बेठक में पधारें हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आगमना दिनांक 18/2/15 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;">रिडर उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन</p> <p>पत्रावली पेश हुई । वकील श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ वाले वकीलता पत्र सम्मनपत्रों को 18/2/15 को पत्रावली आगमना दिनांक 17/3/2015 को पेश हो।</p>	<p>प/र Jm. राजेन्द्र सिंह</p>

ख
कमा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस हुकम
का तामिल में जारी हुए ।

19/11/19

पतावली आज पेश हुई वकील डाक्टर उपर
वकील डाक्टर हस्ताक्षर प्रकरण को अज्ञे नहीं
समाना पाए है तथा Not Press करने का अवसर
लिखित रिपोर्ट की है, वकील डाक्टर के लिये
को हकीमत किया जाकर हस्ताक्षर प्रकरण को
वकील डाक्टर की सहायता के आधार पर
जरीम Not Press करीज किया जाता है
मिजिल केसल अन्तर चेंबर नम्बर ले कम है
निरीक्ष आज दिनांक 19/11/19 को खूबे-आभास
में सुनाया गया।

Not
Done

सहायक कलेक्टर
निरीक्षण
कानून

